



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239204
CG-DL-E-29092022-239204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4380]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2022/आश्विन 6, 1944

No. 4380]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022/ ASVINA 6, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

सं. 36/2015-2020

विषय: आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 08 के आईटीसी (एचएस) 0802 80 10 के अंतर्गत आयात नीति की नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 4570(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 08 के आईटीसी (एचएस) 0802 80 10 के अंतर्गत मदों आयात की नीतिगत शर्त को संशोधित करती है:

एक्जिम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
080280	सुपारी			
08028010	पूर्ण	निषिद्ध	तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 251/- रु. प्रति कि.ग्रा. और अधिक हो तो आयात मुक्त है।	(क) तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 251/-रु. प्रति कि.ग्रा. और अधिक है तो आयात मुक्त है। (ख) भूटान से प्रति वर्ष न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्त के बिना ताजा (हरा) सुपारी का 17000 मी. टन आयात अनुमत होगा। ऐसे आयात केवल निम्नानुसार अनुमत होंगे: (i) केवल एलसीएस जयगांव

				(आईएनजेआईजीबी) के माध्यम से और (ii) डीजीएफटी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के अधीन होगा।
--	--	--	--	--

2. **अधिसूचना का प्रभाव:** भूटान से प्रति वर्ष एलसीएस जयगांव (आईएनजेआईजीबी) के माध्यम से 17000 मी. टन ताजा (हरा) सुपारी का न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना आयात डीजीएफटी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के अधीन अनुमत होगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/43/एम-01/पीसी-2[क]/पार्ट-III/ई-8258]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2022

No. 36 /2015-2020

Subject: Amendment in Import Policy Condition under ITC(HS) 0802 80 10 of Chapter 08 of ITC(HS) 2022, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 4570(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy conditions of items under ITC HS 0802 80 10 of Chapter 08 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy):

Exim Code	Item Description	Existing Policy	Existing condition	Policy	Revised Policy Condition
080280	- Areca nut				
08028010	--- whole	Prohibited	However, import is free if CIF value is Rs. 251/- and above per Kilogram.		a) However, import is free if CIF value is Rs. 251/- and above per Kilogram. b) Import of 17,000 Metric Tonnes of Fresh (green) Areca Nut without Minimum Import Price (MIP) condition shall be allowed from Bhutan every year. Such imports are allowed only: i) through LCS Jaigaon (INJIGB) only, and, ii) shall be subject to a valid Registration Certificate issued by DGFT

2. **Effect of the Notification:** Import of 17,000 MTs of Fresh (green) Areca Nut without Minimum Import Price (MIP) condition shall be allowed from Bhutan every year through LCS Jaigaon (INJIGB), subject to valid Registration Certificate issued by DGFT.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/43/AM-01/PC-2[A]/Part-III/E-8258]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade& Ex- officio Addl. Secy.